Email
Time 1:53 PM
Date 29/8/25

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक **20-08-2025**

क्रमांक **F-1/1/4/0018/2025-sec-1-10**:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक **17.06.2025** द्वारा श्रीमती मेघा पटेल, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी, तेंदूखेडा सामान्य वनमण्डल दमोह से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी अंजनिया उत्पादन वनमण्डल मण्डला में पदस्थ किया गया, जिसके विरूद्ध श्रीमती मेघा पटेल, वनक्षेत्रपाल द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका **W.P./22302/2025** में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक **25.06.2025** को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-

..... without expressing any view on the merits of the case, the petition stands disposed of with direction that if petitioner makes a fresh representation before respondent No.1 alongwith all relevant documents with certified copy of this order within a period of 7 days from today, respondent No.1 shall take a decision on the representation of the petitioner within a further period of three weeks by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law, while affording an opportunity of hearing to the petitioner.

If the representation in terms of this order is not submitted within seven days from today, this order shall lose its efficacy automatically.

For a period of thirty days or till the decision by the respondent No.1 on the representation (whichever is earlier), the petitioner shall be allowed to continue as Forest Range Officer at her present place of posting i.e. Range Tendukheda, Forest Division Damoh.

3/ उक्त निर्णय के पालन में श्रीमती पटेल द्वारा दिनांक **04/07/2025** को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति की पदस्थापना जबलपुर में होने तथा पुत्र लगभग **01** वर्ष की आयु का होने के कारण उसकी देखभाल हेतु स्थानांतरण निरस्त कर यथावत पदस्थ करने का अनुरोध किया है।

4/ श्रीमती मेघा पटेल, वन परिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र तेंदूखेडा सामान्य वनमंडल दमोह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर दिनांक **04/08/2025** को सुनवाई की गई। सुनवाई में श्रीमती मेघा पटेल, वनक्षेत्रपाल द्वारा अवगत कराया गया कि पति की पदस्थापना जबलपुर में है एवं उनका पुत्र लगभग 1 वर्ष का है। पति-पत्नी की पदस्थापना अलग-अलग जिले में होने

कक्ष / कर्मचारी का नाम
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)

से तथा जबलपुर से अंजनिया की दूरी अधिक होने के कारण पारिवारिक दायित्व निर्वहन में समस्या हो रही है।

राज्य शासन एतदद्वारा पूर्ण विचारोपरान्त राज्य शासन के आदेश दिनांक **17/06/2025** द्वारा श्रीमती मेघा पटेल को परिक्षेत्र अधिकारी, तेंदूखेडा सामान्य वनमंडल दमोह से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी अंजनिया उत्पादन वनमंडल मण्डला में की गई पदस्थापना में संशोधन कर परिक्षेत्र अधिकारी निवास, सामान्य वनमंडल पश्चिम मण्डला में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 20-08-2025
11:09:06

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक **F-1/1/4/0018/2025-sec-1-10,** भोपाल दिनांक **20-08-2025**

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल

(शाखा-प्रशासन-।।)

पृ.क्र./प्रशा-।।/स्था-3/व.क्षे.कक्ष/ 4687 भोपाल दिनांक 29/08/2025

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर/जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल पश्चिम मण्डला/उत्पादन वनमण्डल मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति श्रीमती मेघा पटेल, वनक्षेत्रपाल को तामिल कराते हुए शीघ्र नवीन पदस्थिति हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. श्रीमती मेघा पटेल, वनक्षत्रेपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल दमोह के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश/गार्ड फाईल।

(कमलिका मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा-।।)

मध्यप्रदेश भोपाल